प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, राजसमन्द (राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर, **वर्ष 2022**
प्र.ई.रि.सं. 96/2022 दिनांक 23/02/2022

2.–(1) अधिनियम **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018** धारा 7
(2) अधिनियम धारा
(3) अधिनियम धारा.....–.....
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....–.....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 442 समय 7:15 pm
(ब) अपराध के घटने का दिन मंगलवार, **दिनांक 22.03.2022, समय 02.35 पीएम**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का **दिनांक 21.03.2022 समय 01.45 पीएम**

4.–सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिकः–लिखित

5–घटनास्थलः– आम्बेडकर चौराहा कस्बा देवगढ जिला राजसमन्द
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– दिशा–उत्तर बफासला 70 किलोमीटर
(ब) पता.....
.....बीट संख्या .....जरायमदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना.....जिला.....

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– **श्री ओगडनाथ**
(ब).–पिता का नाम :– श्री बाबूनाथ जी
(स).–जन्म तिथि :– उम्र–42 वर्ष
(द).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(य).–पासपोर्ट संख्या.....–.....जारी होने की तिथि.....–.....जारी होने की जगह.....–.....
(र).–व्यवसायः– सेना से रिटायर्ड
(ल).–पता :– निवासी किटो का बडिया तेहसील देवगढ जिला राजसमन्द

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–.....

(1) श्री युवराजसिंह पुत्र श्री शम्भुसिंह चुण्डावत उम्र 46 साल निवासी जोगरास पुलिस थाना रायपुर जिला भीलवाडा हाल हैड कानि नम्बर 446 पुलिस थाना देवगढ जिला राजसमन्द

8.– परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारणः–कोई नही

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)
30,000/– रूपये ट्रेप राशि

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 30,000/–रूपये ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो).....–.....
12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

महोदय जी,

वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21.03.2022 समय 01.45 पी.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक के मोबाईल फोन पर परिवादी श्री ओगडनाथ पुत्र श्री बाबूनाथ जाति नाथ उम्र 42 साल निवासी किटो का बडिया तेहसील देवगढ जिला राजसमन्द ने अपने मोबाईल नम्बर 8079008393 से फोन करके बताया कि "मेरी बहन राधा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री प्रेमरावल निवासी सालिया का खेडा तहसील देवगढ के देवर श्री रोशन रावल निवासी सालिया खेडा ने मेरे, मेरी बहन एवं पांच व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस थाना देवगढ़ में एक प्रकरण दर्ज करवाया था। जिसमें पुलिस थाना देवगढ द्वारा 7 मुल्जिम बनाये गये थे लेकिन अब इस प्रकरण में मेरे पुत्र महेन्द्रनाथ व मेरे भाई पारसनाथ का नाम जोडते हुए चार नये मुल्जिम बनाये गये हैं। इस प्रकरण में जांच अधिकारी श्री युवराज सिंह हैड कानि0 हैं जो इस प्रकरण में मेरे पुत्र महेन्द्र नाथ व मेरे भाई पारसनाथ का नाम हटाने की एवज में 50,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। हैड साहब रिश्वत राशि की मांग मुझसे नहीं करके मेरे पिताजी श्री बाबुनाथ जी से करेगा। इसलिए रिश्वत राशि मांग की कार्यवाही में मेरे पिताजी को भेजना उचित रहेगा। साथ ही बताया कि मैं यहां राजसमन्द ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित नहीं हो सकता हुं क्योकि हैड साहब ने आज दिनांक 21.03.2022 को समय 05.00 पी0एम पर मुझे थाने में बुलाया है। जिस पर ब्यूरो में कार्यरत श्री जितेन्द्र कुमार कानि नम्बर 262 को परिवादी के मोबाईल नम्बर देकर हिदायत दी कि ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड के निकालकर ब्यूरो कार्यालय से रवाना हो कामलीघाट चौराहा पर पहुंच कर परिवादी से सम्पर्क करें तथा रिश्वत राशि के सम्बन्ध में परिवादी का प्रार्थना पत्र लेकर सत्यापन की कार्यवाही कर मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत करावें। इसके पश्चात समय 05.15 पी.एम. पर कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को फोन कर बताया कि "श्रीमान के निर्देशानुसार ब्यूरो कार्यालय के मालखाने से डिजिटल वाईस रिकार्डर मय खाली मेमोरी कार्ड प्राप्त कर मैं, समय 03.30 पी0एम पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द से रवाना होकर डिजिटल वाईस रिकार्डर लेकर कामलीघाट चौराहा के पास पहुंचकर परिवादी श्री ओगडनाथ से फोन पर सम्पर्क कर परिवादी तथा परिवादी के पिताजी श्री बाबुनाथ से मिल लिया हूं। तथा परिवादी से मैने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया है"। जिस पर कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 को हिदायत दी कि परिवादी को डिजिटल वाईस रिकार्डर के संचालन की विधि की समझाईश कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की कार्यवाही कर पुनः मन् पुलिस उप अधीक्षक को अवगत करावें। तत्पश्चात समय 09.36 पी.एम. पर कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 ने जरिए मोबाईल फोन बताया कि "मेरे द्वारा परिवादी तथा परिवादी के पिताजी श्री बाबुनाथ को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री बाबुनाथ को चालु कर पुलिस थाना देवगढ में श्री युवराज सिंह हैड कानि0 नं. 446 से वार्ता करने हेतु भेजा। जिस पर समय करीब 9.40 पीएम पर परिवादी व परिवादी के पिताजी मेरे पास आये। जिस पर मेरे द्वारा डिजिटल वाईस रिकार्डर बंद कर सुरक्षित रखा। तथा परिवादी के पिताजी श्री बाबुनाथ ने मुझे बताया कि मैने थाने में पहुंच कर श्री युवराज सिंह हैड कानि. नं. 446 से पुलिस थाना देवगढ में दर्ज प्रकरण में मेरे पुत्र श्री पारसनाथ एवं मेरे पोते श्री महेन्द्रनाथ के नाम पर कोई कार्यवाही नही करने के संबंध में वार्ता की तथा वार्ता के दौरान युवराज सिंह हैड कानि. नं. 446 ने मुझसे 50,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की और 30,000 रूपये रिश्वत राशि कल दिनांक 22.03.2022 को लेना तय किया। इसके उपरान्त कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 द्वारा परिवादी से भी वार्ता करवाई तो परिवादी ने भी कानि0 जितेन्द्र कुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद की। ततपश्चात कानि0 जितेन्द्र कुमार ने बताया कि अभी मैं देवगढ से रवाना होकर राजसमन्द देर रात तक पहुचूंगा जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा कानि0 जितेन्द्र कुमार को हिदायत दी कि वह डिजिटल वाईस रिकार्डर एवं परिवादी श्री ओगडनाथ का प्रार्थना पत्र अपने पास सुरक्षित रखे तथा परिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि कल दिनांक 22.03.2022 को समय 8.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करे। तत्पश्चात दिनांक 22.03.2022 को समय 07.00 एएम पर कानि0 जितेन्द्र कुमार नम्बर 262 ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को कार्यालय कक्ष में आकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व डिजिटल वाईस रिकार्डर सिपूर्द किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो परिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि "मैं प्रार्थी ओगडनाथ पुत्र श्री बाबूनाथ जी जाति नाथ उम्र 42 निवासी किटो का बडिया तें देवगढ़ जि0 राजसमन्द का रहने वाला हुं मेरी बहन राधा पत्नी स्वर्गीय प्रेमरावल निवासी सालिया का खेडा ते0 देवगढ के देवर श्री रोशन रावल निवासी सालिया खेडा ने मेरी बहन व मेरे एवं पांच व्यक्ति के खिलाफ पूलिस थाना देवगढ में एक प्रकरण दर्ज करवाया था उक्त प्रकरण में पूलिस द्वारा सात मुल्जिम बनाये गये थे लेकिन अब इस प्रकरण में मेरे पुत्र महेन्द्रनाथ व मेरे भाई पारसनाथ का नाम जोडते हुए चार नये मुल्जिम बनाये गये हैं। उक्त प्रकरण में जांच